



128
5/

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर जिल्हा, सागर म० प्र०

श्याम तुन्दर बालू सुदामा प्रसाद मिश्रा, वकील
नाबापिंग बली व श्रीराम सुदामा प्रसाद मिश्रा,
निवासी- ग्राम दुरा, कुटमुआं, तह०-राहतगढ़,
जिला- सागर [म० प्र०]

अपीलार्थी / निजाराती कर्ता

R2407-11/06

// विसर //

- 1- श्रीमतीबाई वल्लभ रतीराम दुबे, उम्र-50 वर्ष,
ताकिन- ग्राम दुरी, तह०-राहतगढ़, जिला- सागर
- 2- पार्वतीबाई वल्लभ सुदामा प्रसाद मिश्रा, उम्र-43 वर्ष,
ताकिन- ग्राम दुरा कुटमुआं, तह०-राहतगढ़, जिला-सागर
- 3- कौशल्या बाई वल्लभ भरत कुमार तिवारी, उम्र-40 वर्ष,
ताकिन- ग्राम तत्ताडाना, तह० व जिला- सागर
- 4- राजकुमारी बाई वल्लभ विजय कुमार तिवारी, उम्र-38 वर्ष,
ताकिन- ग्राम मंडमोद, तह०-राहतगढ़, जिला- सागर
- 5- सावित्रीबाई वल्लभ प्रकाश कौशिक, उम्र-35 वर्ष,
ताकिन- ग्राम जस्ता, तह०-हेममंज, जिला- रायसेन, [म० प्र०]

अनाविदक/प्रतिअपी०मग

तृतीय अपील प्रतिकूल आदेश श्रीमान् अपर
आयुक्त, सागर, लभाग- सागर द्वारा
राजस्व प्रकरण न०-368/ए-6/05-06-
श्यामतुन्दर/वि/श्रीमतीबाई + 5 में दिनांक
20-11-06 को पारित आदेश के विसर.

अपील अंतर्गत धारा-50 म० प्र० भू राजस्व संहिता

॥१॥ यह कि, अपीलार्थी श्याम तुन्दर के नाना ने अपने
जीवनकाल में दिनांक-1/10/96 को एक वसीयतनामा अपीलार्थी के
पक्ष में लक्ष गवाहों के अपने पूर्ण होश हवाश में इस शर्त के साथ
संमन कराया था कि, ग्राम दुरा कुटमुआं पटवारी हल्का न०-
107, तह०- राहतगढ़, जिला- सागर में स्थित कृषि भूमि लगभग
9 एकड़ एवं अन्य संरक्षित जमीन तक में जीवित रहूंगा, मेरे नाम,

..... 2

कुमार सिंह (अपीलार्थी)
(अपीलार्थी)
28/12/06
Kongra

R
14

4-11-16

आवेदक: सय आडेय
 पत्रिका दिनांक - 21-10-16, ^{राज} वजपाना
 आसा करने के आडेय दिशे. वासि
 से। आवेदक वजपाना असा न क।
 आडेय पत्रिका का पाठन नही
 किया गया। वजपाना एलुन न
 कान्ही उसा के प्रकाश इसी
 स्तर पर सकार- किया गया है।
 प्रकाश दायित्व निवादी है।


